भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .4912

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र 1948 (शक) को दिया जाना है)

वित्तीय प्रभावकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुयोग

4912. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निवेशकों को गुमराह करने के लिए अपंजीकृत वित्तीय प्रभावकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बढ़ते दुरुपयोग का आकलन किया है और यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और शुरू की गई प्रवर्तन कार्रवाईयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पंजीकरण नंबरों का अनिवार्य प्रदर्शन ऑनलाइन धोखाधड़ी पूर्ण निवेश सलाह को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम होगा और यदि हां, तो इसके लिए स्थापित निगरानी तंत्र क्या है और तत्संबंधी विहित शास्ति तंत्र क्या है;

(ग) क्या सेबी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भ्रामक प्रतिभूत-संबंधी सामग्री की निरगरानी करने के लिए तत्काल निगरानी उपकरणों का प्रस्ताव करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी तकनीकी रूपरेखा का ब्यौरा क्या है इसके कार्यान्वयन की समयसीमा क्या है;

(घ) क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पंजीकृत संस्थाओं के प्रतिरूपण के कारण निवेशकों को वित्तीय हानि हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही स्थापित क्षतिपूर्ति या शिकायत निवारण तंत्र क्या है;

(ङ) क्या सरकार का अपंजीकृत निवेश प्रोत्साहन खातों को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ समन्वय करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में विकसित समझौतों या अनुपालन नयाचारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सेबी ने निवेशकों को निवेश करने से पहले पंजीकरण संख्या सत्यापित करने में सक्षम बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं और यदि हां, तो ऐसे संपर्क अभियान और क्षेत्रीय कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रतिभूति बाजार से संबंधित भ्रामक/हेरफेर करने वाली/गैरकानूनी सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और वह ऐसी जानकारी को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदाता (एसएमपीपी) को प्रासंगिक नियामक ढांचे के अनुसार हटाने/अक्षम करने/बंद करने के लिए अग्रेषित करता है।

सेबी ने 28 फरवरी, 2026 तक प्रतिभूति बाजार से संबंधित 1,33,000 भ्रामक/हेरफेर वाली सोशल मीडिया सामग्री को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (एसएमपीपी) को भेज दिया है।

(ख): पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं के आचरण को सुदृढ़ करने के लिए, सेबी विनियमित संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल और सभी प्रतिभूति संबंधी सामग्री में अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करता है। इससे निवेशकों को प्रामाणिकता सत्यापित करने और उन्हें अपंजीकृत संस्थाओं से अलग पहचानने में सहायता मिलती है।

(ग): सेबी वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक प्रतिभूति-संबंधी सामग्री को ट्रैक करने के लिए किसी भी एआई टूल का उपयोग नहीं कर रहा है।

(घ): सेबी के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, सेबी के शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में, प्रतिभूति बाजार से संबंधित सेबी को प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा एससीओआरईएस के माध्यम से किया जाता है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने, उन पर कार्रवाई करने और शिकायतों के निवारण की स्थिति पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है।

(ङ): सेबी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (एसएमपीपी) के साथ समन्वय स्थापित करके उन जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है जो गैर-पंजीकृत "फिनफ्लुएंसर" द्वारा पोस्ट और वीडियो के माध्यम से प्रसारित निवेश सलाह से उत्पन्न होते हैं और सेबी नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये कार्रवाइयां लागू नियामक ढांचे के अनुसार की जाती हैं, और जहां आवश्यक हो, उचित प्रवर्तन उपाय शुरू किए जाते हैं। सेबी द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. सेबी उल्लंघनकारी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, सक्रिय (निवारक) तंत्र विकसित करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (एसएमपीपीएस) के साथ मिलकर काम करता है।

ii. सेबी गैर-कानूनी या हेरफेरकारी प्रतिभूति-संबंधी सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सक्रिय रूप से निगरानी करता है और ऐसे मामलों को संबंधित प्लेटफॉर्म्स (जैसे गूगल मेटा, एक्स, टेलिग्राम) को विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप उचित कार्रवाई, जिसमें सामग्री को हटाना भी शामिल है, के लिए अग्रेषित करता है।

iii. सेबी ने एक एपीआई-आधारित प्रणाली लागू की है जो प्लेटफॉर्म्स को यह सत्यापित करने में सक्षम बनाती है कि केवल पंजीकृत मध्यस्थों को ही प्रतिभूति-संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है।

iv. सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं और उनके एजेंटों को सोशल मीडिया प्रोफाइल और संबंधित सामग्री में अपने पंजीकरण विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और निवेशक संरक्षण मजबूत होता है।

(च): सेबी द्वारा अनेक पहल और निवेशक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं:

i. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज (एएमसी) के साथ मिलकर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 724 जिलों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें लगभग 32 लाख निवेशकों को शामिल किया गया।

ii. सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए शैक्षिक संसाधन और निवेश संबंधी जानकारी प्रदान करने वाला Saa₹thi मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है।

iii. सेबी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआईएस) के साथ साझेदारी में टीवी, प्रिंट, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी के प्रति निरंतर जागरूकता अभियान चलाने वाला "सेबी वर्सेस स्कैम" अभियान चलाता है।

iv. उपरोक्त के अतिरिक्त, सेबी "@valid यूपीआई handle" और "सेबी Check" टूल के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न कर रहा है, जिन्हें अपंजीकृत मध्यस्थों द्वारा धोखाधड़ी से धन संग्रह को रोककर निवेशक सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
